

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची ;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: १०/०१/२०२०

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन 05 अदद आहर/ मध्यम सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य हेतु रूपये 55.959 लाख (रूपये पचपन लाख पंचानबे हजार नौ सौ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :-

प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-77/2017-18, दिनांक -12.02.2018; Online AA- 2162, Dated- 13.02.2018

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है:-

(राशि लाख रु. में)

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष /उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष /उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष /विपत्र कोड	संशोधित बजट उपबंध	आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6
1.	50—जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101—सतही जल/ 20— पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य	05—निर्माण/ 45— निर्माण कार्य विपत्र कोड— 50S470200101200545	6200.000	54.459
2.	50—जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796—जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना/ 20— पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य	05—निर्माण/ 45— निर्माण कार्य विपत्र कोड— 50S470200796200545	3500.000	1.500
कुल :-					55.959

आवंटित राशि — रु. पचपन लाख पंचानबे हजार नौ सौ मात्र।

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 एवं 2 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक-19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रामाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. विहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्त्वांधी प्रतिवेदन विभाग को समय उपलब्ध कराया जाय।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षन्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 एवं 2 के स्तंभ-15 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त्।



(अरुण कुमार सिंह) 10.1.20
अपर मुख्य सचिव


ज्ञापांक :— 229

राँची, दिनांक :—

10/01/2020

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ज्ञारखण्ड पो. — हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/गढ़वा/कोडरमा/गिरिडीह/लातेहार सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।



(अरुण कुमार सिंह) 10.1.20
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 229

राँची, दिनांक :— 10/01/2020


प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशास्या-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, ज्ञारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

Q
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव



(अरुण कुमार सिंह) 10.1.20
अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक 229

दिनांक १०/०१/२०२०

का अनुलेखन

परिशिष्ट -

मुख्य शीर्ष-4702— लघु सिंचाई पर पूँजीगत व्यय
लघु शीर्ष-101—सतही जल,
उप शीर्ष-20—पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य,
विस्तृत शीर्ष-05—निर्माण
संशोधित बजट उपबंध (2019-20) — 6200.00 लाख
विपत्र कोड— 50S470200101200545

क्र०	लघु सिंचाई प्रमेल का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			एकरारित राशि	मार्च 2019	वर्ष 2019-20 में		योजना पर कुल अधिन आवंटन (10+13)	Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति	
					राशि	प्रसंग	Online प्रसंग			पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	गढ़वा	रेका	बरदरी मोरियोगो का जीणो	28.646	25.766	2.644	22.000	1.122	23.122	25.766	80285				
2	(GRHMIR001)	गढ़वा	पतारिया मोरियोगो का जीणो	19.854	17.128	1.791	15.000	0.337	15.337	17.128					
			योग :-	48.500	42.894	4.435	37.000	1.459	38.459	42.894					
3	(KDMMIRA01)	कोडसा	जपगार	चन्दपुरा बड़का आहर का जीणो	81.468	77/2017-18 dt 12.02.2018	2162	72.050	0.000	40.000	32.000	72.000	72.000	80286	
			योग :-	81.468	72.050	0.000	40.000	32.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000		
4	गोरिही (GRDMIR001)	गोरिही	तिसरी	तिसरी आहर मध्यम सिंचाई योजना का जीणो	114.360	95.605	10.000	60.000	21.000	81.000	91.000	80288			
			योग :-	114.360	95.605	10.000	60.000	21.000	81.000	91.000					
			सकल योग :-	244.328	210.549	14.435	137.000	54.459	191.459	205.894					

२८

(सत्यन्द नारायण उपाध्याय
संयुक्त सचिव

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव
१०.०२.२०

विभागीय पत्रांक 229

दिनांक 10/01/2020

का अनुलालक

परिषिद्ध --2

मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर ऐंजीगत व्यय
लघु शीर्ष-796-जनजातीय उपयोजना,
उप शीर्ष-20-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य,
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण
संशोधित बजट उपबंध (2019-20) – 3500.00 लाख
विपत्र कोड- 508470200796200545

क्र. नाम	लघु सिंचाई का नाम	जिला प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्थिकृति			एकरासित राशि	मार्च 2019 तक लघु आवंटन	वर्ष 2019-20 में योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (10+13)				Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति	
				राशि	प्रसंग	Online प्रसंग			पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन				
1 (LTRMIR001)	लातेहार लातेहार	बरवाड़ी	ताडियाहर मॉसिंयो० का जीणोद्दर	36.768	77/2017-18 dt 12.02.2018	2162	33.688	27.037	5.000	1.500	6.500	33.537	80293		

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अधिक)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

10.1.20